भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4992
दिनांक 23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

आईडीपीएल के कर्मचारियों के मुद्दे

4992. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आईडीपीएल के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने संराशीकरण के साथ 300 दिन का अवकाश नकदीकरण का आश्वासन दिया था लेकिन बाद में इसे 300 दिन से 270 दिन तक सीमित कर दिया तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आईडीपीएल प्रबंधन ने मंत्रालय के दिशानिर्देशों का हवाला दिया है जो केवल 270 दिन की अनुमति प्रदान करते हैं जहां आईडीपीएल बोर्ड के पास इसे बढाकर 300 दिन करने की शक्ति है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों को 300 दिन के अवकाश संराशीकरण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौडा)

(क): सरकार ने दिसम्बर, 2016 में औषध विभाग के तत्वावधान में एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) की अधिशेष भूमि की बिक्री खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सरकारी एजेन्सियों को करके बिक्री की आय से इसकी देनदारियों को चुकता करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू करने के पश्चात् इसे बंद करने का निर्णय लिया है। चूंकि भूमि की बिक्री नहीं की जा सकी है, हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 14.06.2018 के नए दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कम्पनी के कर्मचारियों हेतु वीआरएस योजना लागू करने के लिए 6.50 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

(ख) से (घ): आईडीपीएल प्रबंधन डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नीतियों पर निर्णय लेता है। कम्पनी ने यह सूचना दी है कि बोर्ड ने दिनांक 22.03.2006 को आयोजित 253वीं बैठक में अर्जित अवकाश जोड़ने की अधिकतम सीमा को दिनांक 01.04.2006 से 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन कर दिया था और दिनांक 01.04.2006 से यह अपने कर्मचारियों को 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण प्रदान कर रहा है।

****